बाजार में बिकने वाले शिशु आहार एवम् बोतलों के प्रयोग को बढ़ावा देने पर पाबन्दी

भारत सरकार द्वारा यह प्रयास स्तनपान को बढ़ावा देता है, जो शिशु और माँ दोनों के हित में है।

स्तनपान द्वारा शिशु को जीवन की सर्वोत्तम शुरुआत मिलती है। इससे शिशु को उचित पोषण मिलता है और शिशु को संक्रमण, अलर्जी व दर्द से बचाता है। यह शिशु के आवश्यक विकास में सहायता देता है ताकि वह जीवन की अच्छी शुरुआत कर सके।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) एवम् युनीसेफ (UNICEF) यह सलाह देते हैं कि सभी शिशुओं को पहले छः महीने तक केवल स्तनपान ही कराना चाहिये। छः महीने के बाद उचित व पर्याप्त मात्रा में घर पर बना हुआ आहार दें और साथ–साथ दो या दो से अधिक वर्ष तक स्तनपान कराऐं। (केवल स्तनपान का अर्थ है कि शिशु को केवल माँ का दूध दिया जाए और कोई अन्य आहार व तरल पदार्थ, यहाँ तक कि पानी भी नहीं दिया जाए)

भारत में स्तनपान की प्रक्रिया अपेक्षा से बहुत कम है। इसका एक कारण बाजार में मिलने वाले शिशु आहारों को बढावा देने के व्यावसायिक तरीके हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसका नाम शिशु दूध पूरक, दूध की बोतल एवम् शिशु आहार (निर्माण, आपूर्ति एवम् वितरण का नियम) IMS Act 1992 संशोधित अधिनियम 2003 है। इस कानून का उद्देश्य शिशु आहार बेचने के तरीकों पर नियंत्रण रखकर स्तनपान को सुरक्षा, बढ़ावा व सहारा देना है।

यह दस्तावेज़ आपको चित्रों के माध्यम से IMS Act के बारें में जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इस तरह से आपको समझने में आसानी रहेगी कि IMS Act किन –किन चीजों को बढावा देने पर पाबन्दी लगाता है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगो तक पंहुचाने के लिए आप इस दस्तावेज़ को दीवारों पर टाँग सकते है व टैबल पर भी रख सकते है।

यह कानून (IMS Act) नीचे लिखे आहारों की बिक्री व प्रयोग बढ़ाने की कोशिशों पर पाबन्दी लगाता है।

1 शिशु दूध पूरक **(Infant Milk Subsitutes)** यानि कि वो आहार जो माँ के दूध के स्थान पर दो वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए बेचे जाये।
उदाहरण के लिए –
लैक्टोजन–1, लैक्टोजन–2, नेस्टोजन – 1 नेस्टोजन – 2, लैक्टोडेक्स–1, लैक्टोडेक्स – 2 अमुल स्प्रे, जेरोलेक, डेक्सोलेक, प्रोसोयाल, सिमाईल एम. सी.टी., सिमिलेक, नियोश्योर अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य शिशु फार्मूला।
अतः यह कानून स्तनपान को दो वर्ष या अधिक तक कायम रखने में बढावा देता है।

2 दूध की बोतलें **(Feeding Bottles)** जैसे बॉनी बेबी, हैलो बेबी, विप्रो या कोई अन्य ब्रान्ड

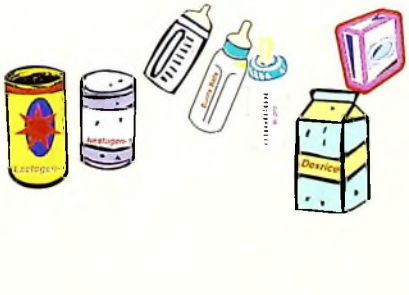

3 शिशु आहार **(Infant Foods)** यानि कोई भी आहार जो छः महीने की आयु के बाद, माँ के दूध के साथ देने के लिए बेचा जाये।
उदाहरण के लिए नेस्टम, सैरेलेक, फैरेक्स, विएनो, विलैक, इनफाकेयर, फर्स्ट फूड, डेक्साराइस, ईस्म और अन्य आहार जिसे दो वर्ष से कम आयु के शिशुओं के उपयोग के लिए बढ़ावा दिया जाए।
यह कानून छः महीने तक केवल स्तनपान कराने को बढ़ावा देता है।

BPNI

किस पर पाबन्दी है ?

यह कानून **(IMS Act)** शिशु आहारों की बिक्री व प्रयोग बढ़ाने के नीचे लिखे तरीकों पर पाबन्दी लगाता है।

दो वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, शिशु आहार, दूध की बोतल के प्रयोग को किसी भी तरह से बढ़ावा देने पर पाबन्दी।

विज्ञापन देने पर पाबन्दी

- अखबार, पत्रिका के माध्यम से
- रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से
- अथवा किसी अन्य माध्यम से

गर्भवती या दूध पिलाने वाली महिलाओं को उपहार एवम् मुफ्त नमूने देने पर पाबन्दी।

सूचना और शिक्षा सामग्री या किसी भी उपकरण का दान देने पर पाबन्दी।

डिब्बे या लेबल पर माँ, शिशु, कार्टून या कोई अन्य चित्र होने पर पाबन्दी।

शिक्षण सामग्री या विज्ञापन द्वारा गर्भवती या दूध पिलाने वाली महिला को गलत या अधूरी सूचना देने पर पाबन्दी।

- अस्पताल या दवा की दुकान पर पोस्टर लगाने पर पाबन्दी। ।
- स्वास्थ्य कर्मचारियों को धनराशि देने पर पाबन्दी।
- स्वास्थ्य कर्मचारियों व उनकी संस्थाओं के लिए किसी भी बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, प्रतियोगिता के आयोजन के लिए मदद करने व अन्य किसी भी प्रकार का उपहार देने पर पाबन्दी।

कम्पनी के कर्मचारियों को बिक्री के आधार पर कमीशन देने पर पाबन्दी।

Resources

Website

- **www.bpni.org:** This is designed for parents, public, professionals, media and any other person interested in infant feeding issues to get information about various aspects of breastfeeding including technical information. It also gives information about the organisation, areas of work and resources available. It has links with various other International Organisations working on infant feeding.

Information Sheets

- **Information Sheet 1 – Guidelines for Breastfeeding and Complementary Feeding: (32 INDIAN LANGUAGES)** This four page document provides accurate information on infant feeding for pregnant women and breastfeeding mothers. **Rs 3** (Minimum ORDER 100 COPIES)

Books & Booklets

- **Breastfeeding and Complementary Feeding: A Guide for Parents. Rs 25**
- **The Law to Protect, Promote and Support Breastfeeding:** A book of BPNI that explains the provisions of the IMS Act in a simple manner especially prepared for healthcare professionals, non-government organisations (NGOs), community workers and all other concerned with infant feeding issues. It also gives a section wise analysis of the Act and explain how infant food manufacturers should regulate their marketing practices so that there is no promotion of baby foods. It also enumerates the actions one can take as an informed individual consumer or as a group for effective implementation of the IMS Act. **Rs 60** *(Second edition 2004)*

Posters

- **Breastfeeding Posters:** 12" X 18" (Art Paper, four colour, sticker tape (in English and Hindi). **Rs 5**
- **Closeness and Warmth:** 15" X 20" Breastfeeding a Bliss. **Rs 10**

CD

- **Maa Ka Pyar- Shishu Ahar:** This BPNI CD covers early initiation, exclusive breastfeeding, how to breastfeed and start complementary feeding. **CD Rs. 100**

Note: 1. Please make payment towards the purchase by Demand Draft only payable to **"BPNI Delhi"**
2. Please add 10% to the total value of your order for postage, packing and handling charges.

ACTION ALERT - As an informed citizen if you come across any promotional activity of baby food manufacturers, please report it to us or other gazetted authorities at the following addresses with a proof.

Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI)
BP-33, Pitampura
Delhi 110088

Association of Consumer Action on Safety and Health (ACASH)
Room No. 21, Lawyer's Chambers
R.S. Sapra Marg, Mumbai 400002

Indian Council for Child Welfare (ICCW)
4, Deen Dayal Upadhyay Marg
New Delhi110002

Central Social Welfare Board (CSWB)
Samaj Kalyan Bhawan
B-12, Tara Crescent
Institutional Area South of IIT
New Delhi 110016

Issued in public interest by BPNI.
For more information, please write to :

Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI)

BP - 33, Pitampura, Delhi 110 088 (INDIA)
Tel: +91-11-27312445
Tel/Fax: +91-11-27315606
Email: bpni@bpni.org; Website:www.bpni.org

Information Sheet No. 11 (March 2005)
Design : Process & Spot - 9811222771
Printed at : NAV Prints, Delhi

The Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI) is a registered, independent, non-profit, national organization that works towards protecting, promoting and supporting breastfeeding and appropriate complementary feeding of infants & young children. BPNI believes that breastfeeding is the right of all mothers and children. BPNI works through advocacy, social mobilization, information sharing, education, research, training and monitoring the company compliance with the IMS Act.

BPNI does not accept funds or sponsorship of any kind from the companies producing infant milk substitutes, feeding bottles, related equipments, or infant foods (cereal foods).

This publication has been developed and disseminated under the BPNI-UNICEF Project Cooperation Agreement 2003-2007, "Strengthening Infant and Young Child Feeding in India", with the support of Department of Women and Child Development, MOHRD, Government of India.